A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी—

श्री घनश्याम शर्मा,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
120 / प्रा0पत्र / 18	18.09.2018	19.07.2024

1. कान्हा आ0 श्री धोकल जाति गूर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैंनवा।
2. सत्यनारायण आ0 कान्हा जाति गूर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा।
3. देवलाल आ0 कान्हा जाति गूर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा।
4. खुशीराम आ0 कान्हा जाति गूर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा।
5. राजेश आ0 कान्हा जाति गूर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा।

—प्रार्थी

बनाम

1. सूरजमल आ0 जगन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. आवंटन परामर्श दात्री समिति नैनवा जिला बून्दी द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय, नैनवा जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवा जिला बून्दी (राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—श्री कैलाश गुप्ता एड0
अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी सूरजमल आ0 जगन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैंनवा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 904 रकबा 3 बीघा खसरा संख्या 905 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके मोडसा तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1992 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के वकील बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 09.12.2019 को अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस समाअत की गई।

वकील प्रार्थीगण ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी सूरजमल को विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 904 रकबा 3 बीघा खसरा संख्या 905 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम मोडसा तहसील नैंनवा का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 25.05.1992 को किया गया था। उक्त भूमि 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रार्थी कान्हा के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस भूमि को प्रार्थी खाना ने पडत से फाडकर आबाद किया, समतल बनाया, तथा काबिल काशत बनाया है।

G7

अति0 जिला कलक्टर

A6/2

भूमि पर सभी प्रार्थीगण सयुंक्त परिवार के सदस्य के रूप में काबिज काशत चले आ रहे है। प्रार्थी कान्हा के पिता धोकल एंव उनके भाई औंकार थे, औंकार के एक पुत्र लालू था, जिसका निसन्तान स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थीगण ही लालू आ0 औंकार के उत्तराधिकारी है। आवंटन नियमों के अनुसार जिस ग्राम में भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है वहां भूमि का आवंटन उसी ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों को वरियता के आधार पर किया जाना चाहिए परन्तु अप्रार्थी भूमिहीन नही है, अप्रार्थी के नाम ग्राम मोडसा में अन्य भूमियां खसरा संख्या 12,13,20,एवं 22/1379 कुल 11 बीघा 01 बिस्वा है एवं आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटिसो में भूमि प्रार्थी एवं उसके भाई स्वर्गीय लालू आ0 औंकार के कब्जे काशत में दर्शायी गई है। अप्रार्थी आवंटन के समय ग्राम मोडसा तहसील नैनवा का स्थाई निवासी नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1992 को खारिज किया जावें। वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1987 पेज 54,आरआरडी 1987 पेज 361, आरआरडी 2014 पेज 727, की नजीरें पेश की।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अवगत कराया कि आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई । प्रार्थी के नाम से जारी धारा 91 भू0राज0अधि0 के नोटिस से जाहिर होता है कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः कब्जा नहीं होने से तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस पर मनन किया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी सूरजमल को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 25.05.1992 को आवंटन किया गया हैं। आवंटन नियमों के अनुसार जिस ग्राम में भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है वहां भूमि का आवंटन उसी ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों को वरियता के आधार पर किया जाना चाहिए परन्तु अप्रार्थी भूमिहीन नही है, अप्रार्थी के नाम अन्य भूमि भी है एवं आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। न्यायालय द्वारा आंवटी सूरजमल को तलब किये जाने पर बावजूद सूचना के पेशी पर उनके उपस्थित नहीं आने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) का अवलोकन किया जिसमें यह उल्लेखित हैं कि यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आंवटन को निरस्त किया जा सकेगा। उक्त आवंटन को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 904 रकबा 3 बीघा खसरा संख्या 905 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके मोडसा तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1992 को एतद द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतिक्रमी के

G1

A6/3

विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

G7

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी